

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक- 2158 / 180 / बजट / 2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/10/2018


आहरण एवं संवितरण अधिकारी/
क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, (नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय:- आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालयों हेतु बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
2018-19

उपरोक्त विषय में निम्नलिखित आहरण संवितरण अधिकारियों को उनके समक्ष अंकित
अनुसार बजट आवंटन स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	बजट शीर्ष 44-2202-03-103-0101-0798-	प्रस्तावित राशि (लाख में)
1	प्राचार्य, शासकीय महाकौशल महावि. जबलपुर	अति.संचा. 1498 दि. 14.09.18	0798-34-009 सामग्री पूर्ति-अन्य	0.50
2	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग रीवा	2176/ 27.09.18	0798-34-009 सामग्री पूर्ति-अन्य	0.50
	योग			1.00

- (2) उक्त राशि का आहरण उपरोक्तानुसार उल्लेखित बजट शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष
2018-19 के बजट से विकलनीय होगा।
 - (3) व्यय करने के पूर्व समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन
निर्देशों एवं अद्यतन भण्डार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
 - (4) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारियों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0
भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।
 - (5) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि
का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का का पूर्ण विवरण
सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
 - (6) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।
 - (7) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।
 - (8) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।
- "आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ०क०- २१५७ / १८० / बजट / २०१८

भोपाल, दिनांक- १२/१०/२०१८

प्रतिलिपि-

१. निज सचिव, मान.मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल
२. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश ग्वालियर।
३. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, न्यायालयीन प्रकोष्ठ कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
४. संबंधित कोषालय / उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।



अपर संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

